

बिहार में तथाकथित मध्यमवर्गीय स्वर्ण महिलाओं की दशा और दिशा

प्राप्ति: 12.05.2026
स्वीकृत: 10.06.2026

31

डॉ रमाकान्त पाण्डेय

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग)
एस0आर0ए0पी0 महाविद्यालय, बारा चकिया
बी0आर0ए0बी0यु0 मुजफ्फरपुर
ईमेल: ramakantpandeybgp@gmail.com

सारांश

नारीवाद की सबसे चिन्तनीय स्थिति बिहार और उत्तरप्रदेश में पाये जाने वाले तथा कथित स्वर्ण जातियों की महिलाओं की है। इनकी स्थिति हमेशा उहापोह की परिस्थिति में रही है। ये महिलायें न तो पितृसत्तात्मक बन्धनों को तोड़ ही पा रही हैं और नहीं अपने पहचान की तलाश में बेचैन ही हैं। स्वर्ण मध्यमवर्गीय महिलाओं की स्थिति उदासीनता के स्तर पर पहुँच चुकी है। झूठी पारिवारिक मर्यादा और एक पक्षीय संस्कारों के बोझ के तले दबी ये महिलायें सहनशीलता की प्रतिमुर्ति बनकर बस जीये जा रही हैं। इनके चेहरे पर झुटी खुशी अक्सर देखी जा सकती है। ऐतिहासिक रूप से यह वर्ग 'पर्दाप्रथा' और कठोर पितृसत्तात्मक मर्यादाओं में बँधा रहा है। हालांकि यह साबित हो चुका है कि इस वर्ग की महिलाओं में कुशलता और कठोर अनुशासन पाया जाता है लेकिन जब एक शिक्षित और कामयाब लड़की को भी अपनी शादी के लिए दहेज जैसे घृणित और अपमानजनक शर्तें स्वीकार करनी पड़ती हैं तो दिल में एक कचोट सी उठती है और तब यह एहसास होता है कि चाहे दलित नारी हो या आदिवासी नारी, इन सबसे बुरी स्थिति तथाकथित स्वर्ण मध्यमवर्गीय महिलाओं की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि – "बिहार का समाज आज भी एक गहरे अंतरविरोध में जीता है, जहाँ एक ओर देवी की पुजा का विधान है, वहीं दूसरी ओर स्वर्ण मर्यादा के नाम पर स्त्री की स्वतंत्रता को घर की चारदिवारी तक सीमित रखने का अघोषित दबाव है" (1)। 'मैथिलीशरण गुप्त'

आज भी बिहार के स्वर्ण मध्यवर्गीय समाज में दहेज प्रतिष्ठा का सूचक है, पुरुषवादी अहंकार का प्रतिक है एक पढी-लिखी सर्वगुण सम्पन्न आत्मनिर्भर कन्या का पिता भी सिर्फ 'स्टेटस सिंबल' के लिए अपनी कन्या की शादी बिना दहेज के कर ही नहीं सकता।

मुख्य शब्द

पितृसत्ता, स्वर्ण तथाकथित, मध्यम वर्ग, आत्मनिर्भर, सर्वगुण सम्पन्न।

उद्देश्य

1. सवर्ण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण करना।
2. दहेज प्रथा जैसी बुराई के कारणों का पता लगाना।
3. सवर्ण महिलाओं में 'पहचान' की चेतना जागृत करना।

शोध विधि- मिश्रित शोध प्रविधि का इस्तेमाल किया गया है। प्राथमिक डाटा संग्रह में सवर्ण महिलाओं का सूक्ष्म अवलोकन तथा द्वितीयक संग्रह में बिहार में जाति जनगणना में रिपोर्ट का सहारा लिया गया है।

भूमिका

जातिवाद प्रबलतम रूप में आज भी भारत के जिस राज्य में पाया जाता है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे आगे है। इन राज्यों में जातियों के आधार पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का गठन ही नहीं हुआ है बल्कि जाति के आधार पर देवी-देवताओं का बँटवारा भी किया गया है। उत्तर भारत के समाज में जाति व्यवस्था इतनी जटिल होती जा रही है कि अब जातियों में से कई उपजातियाँ निकल आयी हैं और उनमें जातिय श्रेष्ठता स्थापित करने की होड़ लगी है।

“किसी भी समाज की प्रगति का माप उस समाज की महिलाओं की प्रगति से किया जा सकता है” (2) (बी0आर0 अम्बेदकर) बाबा साहब अम्बेदकर का यह कथन बिहार के तथाकथित सवर्ण समाज के मध्यमवर्गीय परिवारों पर ज्यादा सटीक बैठता है। मध्यम वर्ग से हमारा आशय वैसे सवर्ण परिवार से है जो गाँवों और छोटे कस्बों जिला मुख्यालयों में रहते हैं, आर्थिक रूप से सम्पन्न तो नहीं लेकिन गरीब भी नहीं है। यह तथ्य है कि इन तथाकथित सवर्णों में भी एक निम्नवर्ग भी है लेकिन उनमें भी जातीय श्रेष्ठता कुट-कुट कर भरी है मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय सवर्ण समाजों में महिलाओं की स्थिति उपर से देखने पर तो इतनी दयनीय नहीं दिखती लेकिन सूक्ष्म अवलोकन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि महिलायें बहुत कशमकश की जिन्दगी जी रही हैं।

बिहार जो अपने गहरे सांस्कृतिक जड़ों और जटिल सामाजिक संरचना के लिए जाना जाता है, वर्तमान में एक बड़े सामाजिक आर्थिक संक्रमण से गुजर रहा है। इस बदलाव के केन्द्र में तथाकथित सवर्ण मध्यमवर्गीय महिलायें हैं जिनकी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है।

बिहार में तथाकथित सवर्ण मध्यमवर्गीय निम्नवर्गीय महिलाओं पर पुरुष वादी अहंकार ने इतना गहरा स्थान प्राप्त कर लिया है कि इन महिलाओं की जिन्दगी पहले 'पिता के साये में', फिर 'पति के साये में' और अन्त में 'पुत्र के साये में', इन चारदिवारियों से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। सरकार के अनेक योजनाओं के पश्चात् भी इन महिलाओं की स्थिति को सुधरने की जो गति होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रही है।

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध और इक्कीसवीं सदी की शुरुआत, वैश्वीकरण, शिक्षा के प्रसार और बिहार सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीतियों के फलस्वरूप इनकी दशा में सुधार तो होना शुरू हुआ है, लेकिन इसकी गति अत्यन्त धीमी है। “बिहार में पितृसत्ता केवल एक पारिवारिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह जातिगत श्रेष्ठता और 'इज्जत' की धारणाओं से गहराई से जुड़ी हुई है, जहाँ महिला की स्वतंत्रता अक्सर परिवार की प्रतिष्ठा की बलि चढ़ जाती है”। (3) पी0एन0ओझा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बिहार में तथाकथित सवर्ण मध्यमवर्गीय महिलाओं की वर्तमान दशा और दिशा को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है जातिवाद उतर भारत की विरासत है, इसकी जननी उत्तरप्रदेश है और बिहार का जातिवाद उत्तरप्रदेश के साये में पला-बढ़ा है। बिहार के सवर्ण महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को तीन चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम औपनिवेशिक काल द्वितीय स्वतंत्रता आन्दोलन का काल और तीसरा संस्कृतिकरण का दौर।

औपनिवेशिक काल में उतर भारतीय समाज जातिगत बंधन और भेदभाव से पुरी तरह ग्रसित था। जिसका सारा भार तथाकथित सवर्ण जातियों के कंधे पर था, भले ही उनके घर में दो जून की रोटी नहीं थी लेकिन उनमें जातिय गौरव का अहंकार कुट-कुटकर भरा था। इस जातिय दंभ का परिणाम यह हुआ कि मध्यम वर्गीय सवर्ण अत्यन्त रूढ़िवादी हो गये। अपने परिवार के महिलाओं को परदे में रखना उनके लिए जातिय गौरव का प्रतिक बन गया इस कारण पितृसत्तात्मक जकड़न और दृढ़ हो गया तथा परदा प्रथा अत्यन्त कठोर हो गयी। सवर्ण महिलाओं या यू कहें तथाकथित सवर्ण महिलाओं के लिए 'बाहर की दुनिया' वर्जित थी। घर की दहलीज लांघना परिवार की इज्जत के खिलाफ माना जाता था। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि उच्च वर्गीय सवर्ण महिलाओं के लिए इतने कठोर नियम नहीं थे। जब इन तथाकथित सवर्ण मध्यमवर्गीय महिलाओं का घर के बाहर निकलना पारिवारिक मर्यादा तथा सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन माना जाता था तो उनमें शिक्षा की स्थिति कैसी होगी, इसका अन्दाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

मध्यमवर्गीय सवर्ण महिलाओं के लिए शिक्षा को अनावश्यक और पारिवारिक मर्यादा के खिलाफ माना जाता था। यदि शिक्षा दी जाती थी तो केवल धार्मिक ग्रन्थो एवम् गृह कार्य सम्बन्धी शिक्षा ही दी जाती थी। इस काल में महिलाओं पर तरह-तरह के अत्याचार किए जाते थे जैसे बाल विवाह, विधवाओं की अमानवीय स्थिति, सती प्रथा, बहु विवाह इत्यादि।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक काल में बिहार के सवर्ण परिवारों में महिलाओं की स्थिति सामंती गौरव का प्रतीक थी। पर्दा प्रथा और घर की चारदिवारी को इज्जत का प्रतिक माना जाता था। तथाकथित निम्न जातियों की स्त्रियां जहाँ घरों से बाहर निकलकर काम करती थी वहीं तथाकथित सवर्ण मध्यमवर्गीय महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। "बिहार के सवर्ण समाज में महिला केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कुल की "इज्जत" का प्रतीक मानी गयी है। उसकी स्वतंत्रता और गतिशीलता पर प्रतिबन्ध दरअसल परिवार की सामाजिक उच्चता को बनाए रखने का एक उपकरण है"। (4) (एम0एन0श्रीनिवास)

स्वतंत्रता आन्दोलन के काल में तथा कथित सवर्ण महिलाओं की दशा में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सुधार की गति अत्यन्त धीमी थी और उच्चवर्गों तक ही सीमित थी। इस काल में भी शिक्षा ग्रहण करने वाली तथा राजनीतिक आन्दोलनों और सामाजिक सुधारों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम या अत्यल्प है। ज्यादातर उन महिलाओं ने चारदिवारी एवम् तथाकथित 'इज्जत' के दीवार को लांघा जो आत्मनिर्भर तथा सम्पन्न घरों से सम्बन्धित थी। ग्रामीण सवर्ण मध्यम वर्गीय

महिलाओं की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ।

आजादी के बाद संवैधानिक अधिकारों ने दिशा बदली लेकिन मध्यमवर्गीय परिवारों की मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम0एन0श्री निवास के अनुसार जैसे “सर्वर्ण मध्यमवर्ग आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, उसने अपनी महिलाओं पर ‘शुद्धता’ और ‘मर्यादा’ के कड़े नियम लागू किए ताकि अपने उच्च सम्मानित स्थिति को बनाए रख सकें। इसी दौर में दहेज एक अनिवार्य सामाजिक बुराई बन गयी, जिसने सर्वर्ण महिलाओं की स्थिति को वस्तु के समान बना दिया। दहेज एक ऐसी बुराई बन चुकी है जिसको बुरा तो सब मानते हैं लेकिन इसे छोड़ना कोई नहीं चाहता।

1990 के दशक की राजनीतिक उथल-पुथल जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो तथाकथित मध्यमवर्गीय सर्वर्णों ने भी अपने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया जिसका एकमात्र उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना था। हालांकि यह नौकरी या शिक्षा अभी भी उसको शादी के लिए तैयार करने के लिए दी जाती थी लेकिन इसका प्रभाव इन महिलाओं पर काफी सकारात्मक पड़ा।

“मध्यमवर्गीय सर्वर्ण परिवारों में महिलाओं की स्थिति’ स्वर्ण पिंजरे के समान रही है, जहां भौतिक सुविधाएं तो हैं, लेकिन निर्णय लेने की स्वायत्तता का नितांत अभाव है”। (5) डॉ0 नीरा देसाई लेखिका का उपयुक्त कथन शहरी क्षेत्रों के तथाकथित मध्यमवर्गीय सर्वर्ण परिवारों के लिए उपयुक्त है। लेकिन वही जब हम बिहार के ग्रामीण इलाके में प्रवेश करते हैं तो जिन घरों में भौतिक सुख-सुविधाओं की घोर कमी थी, वहां भी महिलाओं को कोई आजादी नहीं थी। बीसवीं शताब्दी के अन्त तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिला शौचालय लगभग 90 प्रतिशत परिवारों में नहीं होता था। लड़कियों को स्कूल सिर्फ अक्षर ज्ञान के लिए भेजा जाता था, ताकि वो अपना हस्ताक्षर कर सकें। बहुत से परिवारों में लड़कियां मैट्रिक तक पढ़ लेती थी तो चाहे वो पढ़ने में कितना भी तेज क्यों नहीं हो उनकी पढ़ाई छुड़ाकर जल्दी से जल्दी शादी कर दी जाती थी। तर्क यह था कि जमाना खराब है, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेने से बिगड़ जाएगी।

“1930 के दशक में बिहार की सर्वर्ण महिलाओं का परदे से बाहर निकलकर सत्याग्रह में शामिल होना, राज्य के सामाजिक इतिहास की सबसे बड़ी मौन क्रांति थी”। (6) डा0 के0 के0 दत्ता।

यहां लेखक का दृष्टिकोण एक पक्षीय है, ये जो मौन क्रांति थी इसमें यह अध्ययन नहीं किया गया कि इसमें बिहार के ग्रामीण इलाके जो काफी बहुसंख्यक आबादी वाला इलाका है, के कितनी सर्वर्ण मध्यमवर्गीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस समस्या की असली जड़ बिहार के गावों में आज भी अपने ऐतिहासिक विरासत को संभालकर रखने का प्रयास काफी मजबूती से कर रहा है भले ही उसकी सफलता का प्रतिशत कम हो।

समकालीन सामाजिक स्थिति

बिहार में सर्वर्ण जातियों की संख्या कुल जन संख्या का लगभग 15-20 प्रतिशत है इसमें 95 प्रतिशत से ज्यादा मध्यमवर्गीय है। उनके महिलाओं की सामाजिक स्थिति में पहले की तुलना में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। इसे निम्नलिखित बिन्दुओं से समझा जा सकता है।

1. **शिक्षा बनाम रोजगार**— तथाकथित सर्वर्ण मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़कियों की शिक्षा सिर्फ रोजगार प्राप्त करने का साधनमात्र है। अभी भी रोजगार प्राप्त करते ही लड़कियां ब्याह दी

जाती है और ससुराल पक्ष चाहे तो नौकरी करने दे अथवा घरेलु गृहिणी बनकर जिन्दगी गुजार देना उनकी मजबूरी है। तथाकथित मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़कियों को उच्च शिक्षा इसलिए भी दी जाती है ताकि वर पक्ष आसानी से शादी के लिए उनका चयन कर सके। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि शादी के समय लड़के कि डिमांड एक पढ़ी-लिखी लड़की का, उसको पुरा किया जा सके। माता-पिता अपनी लड़की के दिमाग में यही बात बचपन से ही भर देते हैं कि शादी करके पति और सास-ससुर की सेवा करना ही उसके जीवन का पुनीत कर्तव्य है, उसके अलावा तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है।

लड़की का आत्मसम्मान उसकी आत्मनिर्भरता उसका आत्म गौरव कुछ भी मायने नहीं रखता।

यह बिडम्बना ही है कि तमाम सर्वे और शोध निष्कर्ष जहां महिलाओं की स्थिति में सुधार का दावा कर रहे हैं वहीं हकीकत कुछ और है। ग्रामीण इलाकों में आज भी सवर्ण मध्यवर्गीय लड़की का शिक्षक और बैंकिंग सेक्टर के अलावा अन्य क्षेत्रों में नौकरी करना अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। तथाकथित सवर्ण मध्यम वर्गीय लड़कियां शादी के बाद एवं माँ बनने के

बाद अपने मायके से पुरी तरह कट जाती है और यदि वो नौकरी पेशा या आत्मनिर्भर है तो भी ससुराल पक्ष के दबाव या अन्य प्रकार के लालच अथवा परम्पराओं का बहाना बनाकर अपने माता-पिता के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं करती है, जिससे अन्य माता-पिता अपने लड़की को पढ़ाना फजुल का कार्य समझते हैं और लड़की की शादी करके तथाकथित घर वसा देना जैसे कार्यों को करके आत्मसन्तोष की अनुभूति करते हैं। हालांकि अनेक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के फलस्वरूप हालिया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 20.3 प्रतिशत हो गई है। जिनमें सवर्ण मध्यम वर्गीय महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। कम होने के अनेक कारण हैं अभी भी सरकार नौकरी में डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने के कारण आरक्षित श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों में अन्य राज्यों की महिलाओं की भागीदारी के कारण बिहार की सवर्ण महिलायें पिछड़ गयी हैं। ऐतिहासिक डाटा और शोध बताते हैं कि सवर्ण महिलाओं में मुख्य श्रमिक के रूप में भागीदारी दर मात्र 1.47 प्रतिशत के आस-पास रही है जो अन्य समाजिक श्रेणियों की तुलना में बहुत कम है। इसका मुख्य कारण समाजिक मर्यादा पुरुषवादी अहंकार और शारीरिक श्रम से परहेज है।

हाल ही में बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया है, जिससे लड़कियों में एक नया जोश और जूनून पैदा हुआ है, उनमें आत्मनिर्भरता की भुख बढ़ी है, लेकिन समाजिक परम्पराओं के नाम पर जो समाजिक षड्यंत्र महिलाओं के खिलाफ किये गये हैं उनसे बाहर निकलने में मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय सवर्ण महिलाओं के लिए अभी दूर की कौड़ी दिखाई पड़ रहा है। “वह पुरुष जो अपनी पत्नी से प्रेम का दावा करता है लेकिन उसके परिवार से दहेज स्वीकार करता है, वह वास्तव में उस महिला के व्यक्तित्व का नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी ‘कीमत’ का सम्मान कर रहा होता है” (7) सिमोन द बोउआर

2. **दहेज बनाम सौदा**— दहेज की पाखण्डपूर्ण, तिरस्कृत और घिनौना प्रथा वैसे तो बिहार के प्रत्येक समाजिक तबके में पाया जाता है लेकिन तथाकथित सवर्ण मध्यमवर्गीय वर्ग में यह प्रथा

एक नासुर की तरह फ़ैल चुकी है। यह नासुर जल्दी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें पीड़ित पक्ष भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कोई जख्म तबतक ठीक नहीं होगा जबतक जख्म खाने वाला इसे ठीक करने का प्रयास न करे। “जहां सम्पत्ति के हित दरवाजे से प्रवेश करते हैं, वहां प्रेम खिड़की से बाहर निकल जाता है। दहेज पर आधारित विवाह एक नैतिक समझौता नहीं, बल्कि एक वित्तीय अनुबन्ध है”। (8) फ्रेडरिक एंगेल्स

सवर्ण मध्यमवर्गीय परिवारों में दहेज एक स्टेट्स सिम्बल बन गया है जिस कारण इस कुप्रथा से वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों फेविकाल की भांति चिपक गए हैं। दोनों पक्ष इस बुराई के साथ इसलिए भी चिपके हैं ताकि आज का वधुपक्ष कल वर पक्ष हो जाता है। इसलिए दोनों पक्षों का मानना है कि जब लड़की की शादी में देना ही है तो लड़के की शादी में जितना हो सके लूट लो। सवर्ण मध्यम वर्गीय समाजों में यह बुराई काफी गहराई तक प्रवेश कर गयी है यहां तक कि इस बुराई में पारिवारिक महिलायें भी बढ़चढ़कर हिस्सा लेती हैं। चाहे इसके लिए लड़की का आत्म सम्मान बेच ही क्यों न दिया जाए। आज अच्छी तरह से पढ़ी-लिखी इंजिनियर, डाक्टर प्रोफेसर लड़कियों को भी शादी के लिए दहेज देना पड़ता है। इस पापाचार का सभ्य समाज में कही अस्तित्व नहीं होना चाहिए। दहेज जैसी दानव के बुनियाद पर टिकी हुई शादी कब भरभराकर गिर जाए इसका सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसलिए इस वर्ग में भी तलाक जैसी घटनाएं आम होने लगी हैं। “जो युवक शादी के लिए दहेज को एक शर्त बनाता है वह न केवल अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है, बल्कि वह स्त्री जाति का भी अपमान करता है।” (9) महात्मा गांधी

राजनीतिक दशा और दिशा

यह ऐतिहासिक सत्य है कि बिहार में तथाकथित सवर्ण मध्यमवर्गीय और निम्नवर्गीय समाजों में महिलाओं की राजनीतिक चेतना परिवार के पुरुषों के इर्द-गिर्द ही चक्कर काटने वाली है। पिता तथा पुत्र के विचारों के अनुसार चलने वाली ये महिलायें कभी भी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को शब्द नहीं दे पाईं। पहले जब बैलेट पेपर से वोट होते थे तो बुध कैप्चरिंग या मत अधिग्रहण की परिपाटी के चलते इन महिलाओं का वोट इनके घरवाले ही दे दिया करते थे। लेकिन धीरे-धीरे इनमें भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और इनकी जागरूकता बढ़ी। विगत कई चुनावों से बिहार में अन्य महिला वोटर की भांति ये महिलायें भी ‘साइलेन्ट वोटर’ के रूप में व्यवस्था परिवर्तन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

2025 के बिहार विधान सभा चुनावों में महिलाओं की संख्या 29 (12 प्रतिशत) हो गई है। इसमें स्वर्ण महिलाओं की हिस्सेदारी तो है लेकिन हम जिन सवर्ण महिलाओं की बात कर रहे हैं उनकी संख्या नादारद है क्योंकि आज के चुनाव में ग्रामीण मध्यमवर्गीय सवर्ण पुरुष का चुनाव जीतना एक सपना है तो महिलाओं की बात ही अलग है। बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया है। इस आरक्षण से सवर्ण मध्यमवर्गीय महिलाओं का राजनीतिकरण होना शुरू हुआ है लेकिन ये महिलायें यहां भी अपने पुरुषों के साये से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अभी भी मुखिया पति वाली संस्कृति कायम है। “शोध बताते हैं कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाएं निर्वाचित होती हैं, वहां शासन की गुणवत्ता बेहतर होती है”। (10)

नेशनल वूमन मीडिया की रिपोर्ट

राजनीतिक दल नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन टिकट वितरण के समय 'वंशवाद और जिताउ' उम्मीदवार के नाम पर महिलाओं विशेषकर मध्यम वर्गीय महिलाओं को दरकिनार कर दिया जाता है"। (11) कुसुम देवी (पूर्व विधायक)

निष्कर्ष

बिहार में तथाकथित सवर्ण मध्यम वर्गीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा का अवलोकन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि ये महिलाएं अभी संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। सामाजिक रूप से यह वर्ग अभी-भी पितृसत्ता के कठोर बन्धन में जकड़ी है जहां सामाजिक मर्यादा तथा पारिवारिक इज्जत के तथा कथित झण्डाबरदार के रूप में सारी जिम्मेदारी इनपर ही थोप दी गई है। पर्दा प्रथा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन कुल की प्रतिष्ठा और दहेज जैसी दानव के चंगुल में फंसी ये ग्रामीण बालाएं आज भी घुट-घुटकर जीन के लिए मजबूर हैं। इन लड़कियों का सपना जीवन में कितनी बार टूटता है। इसका अन्दाजा कोई पुरुष नहीं लगा सकता। निष्कर्ष यह है कि समाज महिलाओं को शिक्षित तो देखना चाहता है, लेकिन विद्रोही या पुरी तरह स्वतंत्र नहीं।

आर्थिक आत्मनिर्भरता के उदाहरण भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन शादी के पहले इस आत्मनिर्भरता का कोई मतलब नहीं है शादी के बाद जब दहेज मिल जाने के बाद एक उत्पादक मशीन की तरह उनका उपयोग होता है जहां उनकी स्वतंत्रता की कोई कीमत नहीं है। जबतक महिला का अपनी आय पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा। उसकी आर्थिक दशा केवल कागजी रहेगी।

राजनीतिक रूप से ये महिलायें पहले की अपेक्षा ज्यादा मुखर हुई हैं। स्वर्ण मध्यमवर्गीय महिलायें घूँघट में ही सही, मतदान केन्द्रों तक पहुँच रही हैं, सरकार निर्माण में बहुमूल्य योगदान भी दे रही हैं। लेकिन इन महिलाओं की सत्ता में सहभागिता अभी भी शून्य है। महिलायें प्रकृति का दूसरा रूप हैं जिस तरह प्रकृति बीज से जीव का निर्माण करती है उसी तरह महिलायें भी नये जीवन का आधार हैं। अगर समाज को जल्दी ही चेतना नहीं आई तो प्रकृति बदला लेगी, जिससे धरती का सन्तुलन बिखर सकता है। इसलिए कहते हैं "नारियों का सम्मान करो दिमाग से नहीं, दिल से"। बिहार के सवर्ण मध्यमवर्गीय महिला 'दशा' सुधारने के लिए पितृसत्तात्मक समाज को अपना झुठा अहंकार अपनी लालच को छोड़ना होगा और उनकी दिशा निर्धारित करने के लिए उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देनी होगी। अब इन महिलाओं को देवी मानकर दहेज के फन्दे पर लटकने से बचाना होगा।

सन्दर्भ

1. मैथिलीशरणगुप्त—(पुस्तक) 'भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति के सामान्य चित्रण'। 1972 साहित्य सदन पृ0सं0—109।
2. बी0आर0 अम्बेदकर (भाषण) इनहेलेशन ऑफ कास्ट 15 मई 1939
3. पी0एन0ओझा—(पुस्तक) आसपेक्टस ऑफ मेडाइवल इन्डियन सोसाइटी एण्ड कलचर 1978 बी आर पब्लिकेशन पृ0सं0—98।
4. श्री निवास एम0एन0—(पुस्तक) सोशल चेंज इन मोर्डन इण्डिया ओरिएन्ट ब्लैक स्वान पृ0सं0—122।

5. डॉ नीरा देसाई, (पुस्तक) वूमन इन मोर्डन इण्डिया वोरा एण्ड कं0 पब्लिशर्स पृ0सं0-85
6. डॉ के0के0 दता (पुस्तक) हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मुवमंट इन बिहार बिहार गजटेयेर वॉल्युम-2 पृ0सं0-59।
7. सिमोन द बोउवार (पुस्तक) द सेकेण्ड सेक्स अनुवाद मोनिका सिंह वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2024 पृ0सं0-24।
8. फ्रेडरिक एंगेल्स (पुस्तक)-द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रोपर्टी एण्ड द स्टेट 1884 स्विट्जरलैंड
9. महात्मा गाँधी – हरिजन (पत्रिका) 23 मई 1936
10. नेशनल वूमन मीडिया इंडिया की रिपोर्ट
11. कुसुम देवी – आउटलुक, पत्रिका अक्टूबर 2025